सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/506 दर्ज तिथिः– 20.11.2024

1. अनिलकुमार पुत्र रूगनाथराम
2. भजनलाल पुत्र रूगनाथराम
3. सोमारी उर्फ सोमी पत्नी रूगनाथराम

जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा।

............................वादीगण

बनाम

1. रूगनाथराम पुत्र रामकेनराम
2. मोहनराम पुत्र रामकेनराम
3. गोरखाराम पुत्र रामकेनराम
4. कमला पत्नी गोरखाराम

जातियान विश्नोई निवासीयान मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

5. गोकलाराम पुत्र मानाराम
6. जोगाराम पुत्र प्रहलादाराम
7. सति पत्नी प्रहलादराम
8. मेधाराम पुत्र प्रहलादराम
9. भवराराम पुत्र पुनमाराम
10. रमकू पतनी पुनमाराम
11. भोमाराम पुत्र निम्बाराम

जातियान माली निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

12. धापू पत्नी अर्जुनराम

जाति जाट निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा।

..........................असल प्रतिवादीगण

13. उपपंजीयक एवं तहसीलदार गुड़ामालानी।

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी सं. 1 ता 4– श्री जगदीश कड़वासरा
शेष प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय:–

दिनांक 04.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने निवेदन किया गया कि

1.1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। जो पुर्व पुरूष रामकेनराम के वारिसान है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

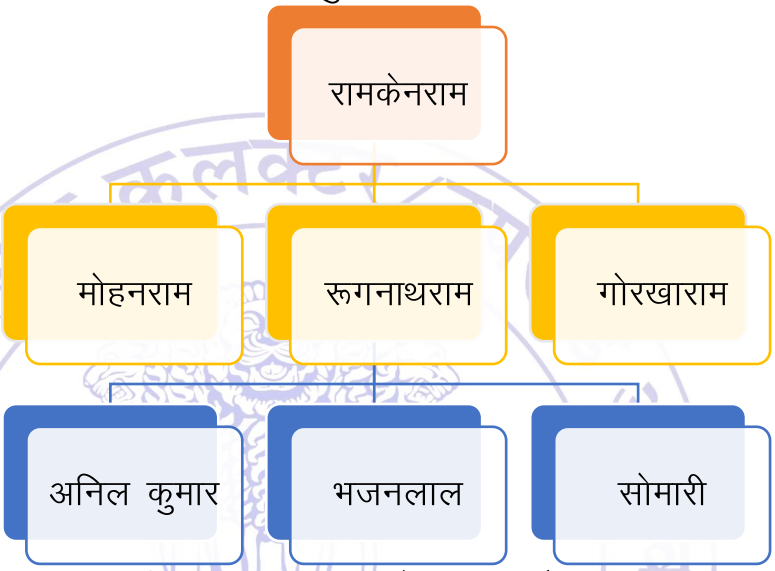

1.2 कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक व प्रतिवादी संख्या 4 से 12 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 246/4 रकबा 2.0477 है0, 246/6 रकबा 0.0890 है0, 246/9 रकबा 0.0647 है0, 246 रकबा 2.2816 है0, 246/8 रकबा 0.0486 है0, 12/7 रकबा 1.4245 है0, 13 रकबा 1.3921 है0, 13/6 रकबा 0.0405 है0 मौजा मौखावा खुर्द, खसरा संख्या 166/2 रकबा 3.7798 है0 मौजा मौखावा पटवार हल्का मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान वादीगण के दादा रामकनेराम के नाम से जारी हुआ था।

1.3 कि वादीगण के दादा रामकेनराम के फौत होने पर मुतनाजा आराजी का नामान्तरण वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज हुआ।

1.4 कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई हिन्दु पुरूष अपने पिता, पितामह या प्रपितामह से उत्तराधिकार में सपत्ति प्राप्त करता है तो उक्त पैतृक संपत्ति पर पुत्र का पिता के समान हक निहित होता है। इस प्रकार उक्त आराजी वादी के दादा से प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पौत्र व प्रपौत्र का जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार सृजित हो जाते है। इस कारण उक्त आराजी में वादीगण के पिता का जो हिस्सा है, उसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का बहिस्सा 1/4–1/4 बराबर है।

1.5 कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को छोड़कर चले जाने से वादीगण के प्रति उदासीन होने के कारण वादग्रस्त आराजी का मौका पाकर बेचान करने पर आमदा है। जो वादीगण के हितो के प्रतिकूल है। वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है। इस कारण वादीगण उक्त आराजी में सहखातेदार होने के कारण अपने पिता के हिस्से में 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

1.6 कि प्रतिवादी संख्या 01 को वादी के हितों की रक्षार्थ एवं वादग्रस्त आराजी को बेचान न करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

1.7 वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष निवेदित किये गये–

- वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक व प्रतिवादी संख्या 4 से 12 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 246/4 रकबा 2.0477 है0, 246/6 रकबा 0.0890 है0, 246/9 रकबा 0.0647 है0, 246 रकबा 2.2816 है0, 246/8 रकबा 0.0486 है0 मौजा मौखावा खुर्द में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/48–1/48 हिस्सा तथा खसरा संख्या 12/5 रकबा 0.0567 है0, 12/7 रकबा 1.4245 है0, 13 रकबा 1.3921 है0, 13/6 रकबा 0.0405 है0 मौजा मौखावा खुर्द, खसरा संख्या 166/2 रकबा 3.7798 है0 मौजा मौखावा पटवार हल्का मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12–1/12 का खातेदारी घोषणा की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

- कि वादीगण द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी घोषणा करने का पेश किया जो गलत है। वादीगण मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में 1/3–1/3 हिस्से के अधिकारी हैं। इसी अनुसार घोषणा की जावे।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को छोड़कर नहीं गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी में अपना घर बनाकर मौके पर कृषि कार्य करते है एवं कृषि कार्य से अपना गुजारा चलाते है।
- कि वादीगण द्वारा कारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जा रहा है जो गलत है। वादी संख्या 01 व 02 प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र है। वादी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नी है। पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्र ही खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। पत्नी, पति के जीवनकाल में खातेदारी घोषणा का वाद लाने की अधिकारी नहीं है।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये।

   1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी के पैतृक संपत्ति होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत प्रत्येक के 1/12–12 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर सहखातेदार दर्ज होने का अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

............................वादीगण

2. आया मुतनाजा आराजी के पैतृक संपत्ति होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत वादी संख्या 03 को अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।

............................प्रतिवादी संख्या 01

3. अन्य दादरसी

..............उभय–पक्षकारान

4. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी कोई साक्ष्य गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये।

5. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में वादी संख्या 03 का कोई हिस्सा सृजित नहीं होता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में वादी संख्या 01 व 02 व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3–1/3 खातेदारी घोषणा की जावे।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम तनकीवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैं:–

1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी के पैतृक संपत्ति होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत प्रत्येक के 1/12–12 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर सहखातेदार दर्ज होने का अधिकारी है/

.... वादीगण

7. प्रकरण में तनकी संख्या 01 इस बात से संबंधित है कि मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी है अथवा नहीं है। इस संबंध में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

8. हिन्दु विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः–
    1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
    2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।

3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा—वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

9. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

10. प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण की संपति प्राप्तकर्ता रूगनाथ पुत्र रामकेन के वारिसान वादीगण है। मुतनाजा आराजी रामकेन की आराजी रही है। तत्पश्चात रामकेन के फौत होने पर विरासत में उक्त आराजी रूगनाथ पुत्र रामकेन को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति वादीगण व प्रतिवादी के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज रामकेन से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति वादीगण व प्रतिवादी के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपति मानना विधिसंगत है।

11. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—12 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में सभी सदस्यों का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

2. हिन्दू विधि में सहदायिकी में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूष शामिल होते है।
3. हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है।
4. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूषों का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है।
5. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।
6. हिन्दू विधि में सहदायिकी में कोई सहदायक बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।
7. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व माना जाता है।
8. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान कब्जा माना जाता है।
9. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में कोई सहदायक बिना अन्य सहदायकों की सहमति के बिना कोई विधिक आवश्यकता के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।
10. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में सहदायक की मृत्यु पर सभी सहदायकों का हिस्सा बढ जाता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपति में सहदायक के जन्म पर सभी सहदायकों का हिस्सा घट जाता है। इस प्रकार सहदायिकी संपति में किसी भी सहदायक का हिस्सा निश्चित नहीं होकर सहदायिकी में सदस्यों के जुड़ने व हटने पर परिवर्तित होता रहता है।
11. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में किसी एक सहदायक द्वारा अपना अधिकार/हक त्यागने पर बाकी अन्य सहदायकों के पक्ष में समान अधिकार सृजन माना जाता है।
12. हिन्दू विधि में सहदायिकी विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में सहदायिकी का सृजन नहीं किया जा सकता है।
13. हिन्दू विधि में सहदायिकी में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।
14. हिन्दू विधि में सहदायिकी में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में सहदायिकी के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर सहदायिकी को आगे बढाया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रकरण में वादी का अभिवचन है कि मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी होकर सहदायिकी सम्पति है। इस पर प्रतिवादी द्वारा उक्त कथन को स्वीकार किया गया हैं। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—12 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—12 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है।

13. प्रकरण में दौराने वादी ने अभिवचन किये है कि मुतनाजा आराजी रामकेन की आराजी रही है। तत्पश्चात रामकेन के फौत होने पर विरासत में उक्त आराजी लच्छाराम पुत्र रामकेन को प्राप्त हुई है। साथ ही रामकेन के फौत होने पर संपत्ति रूगनाथ पुत्र रामकेन को विरास्त में प्राप्त हुई। इस पर प्रतिवादी द्वारा उक्त कथन को स्वीकार किया गया हैं। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी पर है कि वह मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं किया है कि मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति नहीं है या पृथक व स्वतंत्र संपत्ति किस प्रकार है। इसके विपरित प्रतिवादी द्वारा उक्त कथन को स्वीकार किया गया हैं। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी सहदायिकी सम्पति होना स्पष्ट है। इस प्रकार वादी को मुतनाजा आराजी के पैतृक व सहदायिकी संपत्ति माना जाना उचित प्रतीत होता है।

14. प्रकरण में प्रथम तनकी संख्या 02 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*
>
> ***Provided*** *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

7. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का तनकी संख्या 01 में चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

6. Devolution of interest in coparcenary property.—*(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—*

a. by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;

b. have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

c. *be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:*

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

(2) Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of sub-section (1) shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be regarded, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition.

(3) Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), his interest in the property of a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the coparcenery property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place and,—

a. *the daughter is allotted the same share as is allotted to a son;*
b. *the share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as they would have got had they been alive at the time of partition, shall be allotted to the surviving child of such pre-deceased son or of such pre-deceased daughter; and*
c. *the share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased daughter, as such child would have got had he or she been alive at the time of the partition, shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as the case may be.*

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not.

(4) After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), no court shall recognise any right to proceed against a son, grandson or great-grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, grandson or great-grandson to discharge any such debt: Provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), nothing contained in this sub-section shall affect—

a. *the right of any creditor to proceed against the son, grandson or great-grandson, as the case may be; or*
b. *any alienation made in respect of or in satisfaction of, any such debt, and any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005)had not been enacted.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

> *Explanation.—For the purposes of clause (a), the expression "son", "grandson" or "great-grandson" shall be deemed to refer to the son, grandson or great-grandson, as the case may be, who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005).*
>
> *(5) Nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been effected before the 20th day of December, 2004 Explanation.—For the purposes of this section "partition" means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) or partition effected by a decree of a court.*

8. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र/पुत्री/पौत्र को अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 01 का पुत्र व वादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नी है।

9. प्रकरण में वादीगण द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के तहत वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। इस आधार पर वादीगण का मुतनाजा आराजी के सहदायिकी संपत्ति होने तथा वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित होने के आधार पर उक्त सहदायिकी संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 01 के निर्धारित हिस्से में से अधिकार निहित होता है। इस प्रकार वादीगण अपना प्रकरण साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में फैसल की जाती है।

10. अब प्रकरण में तनकी संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार है–

> 2. आया मुतनाजा आराजी के पैतृक संपत्ति होने के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत वादी संख्या 03 को अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।
>
> ....प्रतिवादी संख्या 01

11. इस तनकी को लेकर विवाद का बिन्दु यह है कि पति के जीवित रहते पत्नी को सहदायिकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा ***AIR 2020 SC 3717*** बउनवान ***Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma*** में निर्णय दिनांक 11.08.2020 को इस बारे में स्पष्ट किया है कि सहदायिकी संपत्ति का सहदायकों के मध्य विभाजन हो रहा हो तो उस स्थिति में पति के समान हिस्सा पत्नी को दिये जाने के प्रावधान है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है–

> *79. The right to claim partition is a significant basic feature of the coparcenary, and a coparcener is one who can claim partition. The daughter has now become entitled to claim partition of coparcenary w.e.f. 9.9.2005, which is a vital change brought about by the statute. A coparcener enjoys the right to seek severance of status. Under section 6(1) and 6(2), the rights of a daughter are pari passu with a son.* ***In the eventuality of a partition, apart from sons and daughters, the wife of the coparcener is also entitled to an equal share. The right of the wife of a coparcener to claim her right in property is in no way taken away.***

12. इस प्रकार विधि की सुस्थापित स्थिति है कि सहदायिकी संपत्ति में पति के जीवित रहते हुए पत्नी अपना हिस्सा की घोषणा व विभाजन करवाने हेतु अधिकृत नहीं है। परंतु जब सहदायिकी संपत्ति का सहदायकों के मध्य विभाजन हो रहा हो तो उस स्थिति में पति के समान हिस्सा पत्नी को दिये जाने के प्रावधान है। इस आधार पर वादी संख्या 03 सोमी पत्नी रूगनाथ का भी हिस्सा सहदायकों के समान घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस आधार पर प्रतिवादी के सहदायिकी संपत्ति में पत्नी के पति के जीवित रहते कोई हिस्सा नहीं होने तथा प्रकरण में वादी संख्या 03 का कोई अधिकार नहीं होने के अभिवचन को स्वीकार किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

13. निष्कर्षतः वादी संख्या 01 का उक्त मुतनाजा सहदायिकी संपत्ति में जन्म से अधिकार निहित होने तथा सहदायकों के मध्य सहदायिकी संपत्ति का विभाजन होने की स्थिति में सहदायकों की माता, पत्नी, विधवा वादी संख्या 02 को भी नियमानुसार हिस्सा निहित होने तथा हिन्दु विधि के अनुसार हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र/पुत्री/पौत्र को जन्म से ही अधिकार व दायित्व निहित होने तथा सहदायिकी संपत्ति का विभाजन करवाने का अधिकार होने के आधार पर वादीगण का मुतनाजा आराजी के सहदायिकी संपत्ति होने तथा वादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित होने के आधार पर उक्त सहदायिकी संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 01 के निर्धारित हिस्से में से अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्करारहक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खसरा संख्या 246/4 रकबा 2.0477 है0, 246/6 रकबा 0.0890 है0, 246/9 रकबा 0.0647 है0, 246 रकबा 2.2816 है0, 246/8 रकबा 0.0486 है0, 12/7 रकबा 1.4245 है0, 13 रकबा 1.3921 है0, 13/6 रकबा 0.0405 है0 मौजा मौखावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

खुर्द, खसरा संख्या 166/2 रकबा 3.7798 है0 मौजा मौखावा पटवार हल्का मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से वादीगण प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण को राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 04.05.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 506 दर्ज तिथिः– 20.11.2024

1. अनिलकुमार पुत्र रूगनाथराम
2. भजनलाल पुत्र रूगनाथराम
3. सोमारी उर्फ सोमी पत्नी रूगनाथराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा।

............................वादीगण

बनाम

1. रूगनाथराम पुत्र रामकेनराम
2. मोहनराम पुत्र रामकेनराम
3. गोरखाराम पुत्र रामकेनराम
4. कमला पत्नी गोरखाराम
   जातियान विश्नोई निवासीयान मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
5. गोकलाराम पुत्र मानाराम
6. जोगाराम पुत्र प्रहलादाराम
7. सति पत्नी प्रहलादराम
8. मेधाराम पुत्र प्रहलादराम
9. भवराराम पुत्र पुनमाराम
10. रमकू पतनी पुनमाराम
11. भोमाराम पुत्र निम्बाराम
    जातियान माली निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी
12. धापू पत्नी अर्जुनराम
    जाति जाट निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा।

..........................असल प्रतिवादीगण

13. उपपंजीयक एवं तहसीलदार गुड़ामालानी।

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी सं. 1 ता 4– श्री जगदीश कड़वासरा
शेष प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested

–:पर्चा डिक्रीः–

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्करारहक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खसरा संख्या 246/4 रकबा 2.0477 है0, 246/6 रकबा 0.0890 है0, 246/9 रकबा 0.0647 है0, 246 रकबा 2.2816 है0, 246/8 रकबा 0.0486 है0, 12/7 रकबा 1.4245 है0, 13 रकबा 1.3921 है0, 13/6 रकबा 0.0405 है0 मौजा मौखावा खुर्द, खसरा संख्या 166/2 रकबा 3.7798 है0 मौजा मौखावा पटवार हल्का मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण को राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित तहसीलदार को प्रेषित की जावें। तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 04.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 20:02:50 IST
Reason: SelfAttested